न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–72/2018

1. रामकिशोर पुत्र सूणीलाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम झीडा, पटवार हल्का सामोद, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

––अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार तहसील चौमू, जिला जयपुर।
2. श्रीमती मीरा देवी पत्नी मदनलाल, जाति हरियाणा ब्राहाम्ण, निवासी भांकरोटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
3. श्रीमती जनता देवी पत्नी किशनलाल, जाति हरियाणा ब्राहाम्ण, निवासी भांकरोटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
4. भंवर सिंह पुत्र बोदूराम, जाति दरोगा, निवासी सामोद, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
5. वीरसिंह पुत्र बोदूराम, जाति दरोगा, निवासी सामोद तहसील चौमू जिला जयपुर।
6. भूपेन्द्र सिंह पुत्र बोदूराम, जाति दरोगा, निवासी सामोद, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 10.04.2018

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, तृतीय जयपुर के आदेश दिनांक 12.02.2018 (प्रकरण संख्या 22/2012) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने ग्राम भीडा पटवार मण्डल सामोद तहसील चौमू, जिला जयपुर स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 733, 734, 864, 865, 867, 868 कुल किता 7 कुल रकबा 5.81 हैक्टयर भूमि का नामान्तरकरण संख्या 128 दिनांक 11.11.2009 के आदेश द्वारा में सम्पूर्ण खाता प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 के नाम स्वीकृत कर दिया, जिसके विरूद्ध प्रथम अपील पेश की गई थी, इस विवादित आराजी की पूर्व में खातेदारी सुवादेवी बेवा बोदूराम, भंवर सिंह, वीरसिंह व भूपेन्द्र सिंह पुत्रान बोदूराम के नाम रही है जिनके विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू के समक्ष मुकदमा संख्या 141/1985 उनवारी औंकार व अन्य बनाम सुवादेवी व अन्य बाबत उद्घोघणा व स्थायी निषेधाज्ञा लम्बित है जिसमें वादीगण द्वारा चिरकाल से कब्जा काश्त होने व प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी अपने नाम घोषित करने का अनुतोष चाहा गया था तथा उपखण्ड अधिकारी चौंमू द्वारा दिनांक 27.01.2006 को स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलार्थीगण के हक में स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थीगण को दौराने दावा रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्दी कर दिया गया, तथ्यों को छिपाकर प्रत्यर्थी द्वारा बाला–बाला नामान्तरकरण

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

स्वीकार करा लिया जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के प्रतिकूल मनमाना परवर्स होने के कारण अवैध तथा निरस्तनीय है। उन्होने कथन किया है कि उपखण्ड अधिकारी, चौमू के आदेश दिनांक 27.10.2009 को सरपंच ग्राम पंचायत विजयपुरा की मौजूदगी व निशानदेही पर मौका रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें अपीलार्थी का 60 वर्ष पूर्व से कब्जा काश्त होना ताईद किया है इस प्रकार बिना मौका जांच महज विक्रय पत्र के आधार पर कब्जाधारी को सुने बिना प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा नामान्तरकरण संख्या 128 दिनांक 11.11.2009 को स्वीकार कर दिया, जो निरस्तनीय है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.02.18 पारित किया गया है, जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने विवाद के वास्तविक मुद्दे को सही अर्थो में समझे बिना कतई परवर्स आरबीट्रेरी एवं कॉन्ट्रेरी टू लॉ आदेश अधीन अपील पारित करने में भयंकर कानूनी गलती की है क्योंकि नामान्तरकरण संख्या 128 दिनांक 11.11.2009 महज प्रत्यर्थीगण संख्या 4 व 6 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 के हक में दिनांक 28.03.2005 को विक्रय पत्र निष्पादित करने के आधार पर प्रस्तुत किया गया है जबकि वास्तव मे प्रत्यर्थीगण संख्या 2 व 3 को विक्रेतागण प्रत्यर्थी संख्या 4 व 6 द्वारा मौके पर कब्जा ही नही संभलाया गया, इस प्रकार बिना मौका स्थिति देखे व अपीलार्थीगण को सुने बिना ही नामान्तरकरण संख्या 128 स्वीकार किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने कथन किया है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौमू के समक्ष अपीलार्थी व प्रत्यर्थीगण के मध्य लम्बित रेगुलर वाद औंमकार बनाम सुवादेवी बाबत उद्घोषणा हक व स्थाई निषेधाज्ञा लम्बित होने के साथ ही प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध स्थगन आदेश दिनांक 27.01.2006 पारित किये जाने के बावजूद रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखना न्यायहित में आवश्यक था लेकिन उक्त तथ्यों की अनदेखी कर नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है, जो निरस्तनीय है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा महज अपीलार्थी की ओर से विक्रय पत्र दिनांक 28.03.2005 जो प्रत्यर्थीगण संख्या 4 ता 6 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 के हक में पंजीबद्ध करवाया जाकर तस्दीक किया गया उसको चुनौति देते हुये अपीलार्थी द्वारा एक सिविल दावा विक्रय पत्र शून्य घोषित करवाये जाने हेतु सिविल न्यायालय में दायर किया गया, उक्त वाद पत्र अपीलार्थी सिविल न्यायालय द्वारा खारिज किये जाने का अलम्ब लेकर ही प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील खारिज कर दी गई जबकि राजस्व सम्बन्धी अनुतोष प्रदत्त किये जाने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को नही है तथा सिविल न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह माना है कि खातेदारी घोषणा सम्बन्धि अधिकार राजस्व न्यायालय द्वारा ही तय किये जाने है आदि तथ्यों की अनदेखी कर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील खारिज कर भारी भूल की है लिहाजा

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.02.2018 निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, तृतीय जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.02.2018 एवं नामान्तरकरण संख्या 128 पर तहसीलदार चौमू द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.11.2009 को निरस्त फरमाया जावें

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। नामान्तरकरण संख्या 128 वाके ग्राम झीडा के अवलोकन से जाहिर होता है कि आराजी खसरा नम्बर 733 एवं 734 नामान्तरकरण में गै मु. नदी दर्ज रिकार्ड है इसके उपरान्त भी नामान्तरकरण संख्या 128 रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के नाम स्वीकार किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने के कारण उसे उचित नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा वादग्रस्त नामान्तरकरण संख्या 128 दिनांक 11.11. 2009 को आराजी खसरा नम्बर 733 एवं 734 की हद तक निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार चौमू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अविलम्ब जॉच की जाकर वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 733 एवं 734 का रेफरेन्स सक्षम न्यायालय में पेश किया जावे।

(राजेश्वर सिंह)
संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 10.04.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर